

97-5/18

राजस्व लाक अदालत आजमान
जाने के संबंध में राजस्व गुण-1 विभाग
दिनांक 21.04.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों
पालना में आज यह पत्रावली मरे समझ में
पत्रावली का अवलोकन किया गया। मेरी राय से
करण लाक अदालत के माध्यम से निस्तारण किया
ज्ञान योग्य है। अतः पत्रावली उपर्युक्तकाराम को
नोटिस जारी होकर लाक अदालत के समझ दिनांक
17.5.18 को कहादपुर पर पेश हो

17.5.18

कहादपुर

महल
अधिकारी
मलवर

17.5.18

पत्रावली न्याय आपके द्वारा 2018 राजस्व लाक
अदालत में कहादपुर में पेश हुई / प्रार्थना
की जा रही है कि प्रार्थना के लिए प्रस्तुत
पुत्र सुरजमल ने अरजी ख.नं. 31/502 ख.वा.
2 की सं. 01 कि.वा. में से 1/2 भाग के ग्राम मोंडीक
तहसील मलवर में जयि के मरामा दिनांक 8.6.89
के पुत्र हट्टी गुरजर से खरीद की थी। जिसके
अरजत सं. 195 दिनांक 27-6-89 का अरमत पुत्र
सुरजमल के नाम ही हुआ / उक्त अरजी के
दाल ख.नं. 54 ख.वा. 21 लेख 55 ख.वा. 14 लेख
56 ख.वा. 11 लेख नाम से ज्ञे।

सैरियमर ख.नं. 205 के पिला का
नाम अरमत के स्थान पर सुरमत ही हुआ है।
जो दाल दिनांक 27-6-89 का रहा है।
प्रार्थना में अरजे किता का नाम
अरमत के स्थान पर अरमत ही हुआ है
का निवेदन किया।

प्रकरण में उप तहसीलदार कहादपुर
की रिपोर्ट ली गई। उप तहसीलदार कहादपुर
ने अरजी रिपोर्ट दिनांक 17/5/18 में अंतिम
दिना कि पुत्र सुरजमल द्वारा अंतिम
क.हा.पत्र दिनांक 10/5/18 दिनांक 10/5/18 के समझ पत्रा
सं. 133 के नाम. 195 का अरमत अरजे समझ
अरमत के सुरमत पुत्र सुरजमल लिख किया


तारीख
हुकम


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामीत
में जारी हुए

मिसल संख्या 2051 के आधार पर तालिका रिपोर्ट
में सुरमत का ही बंधन होना पता आ रहा है
उप नक्कीलदार कटाहरपुर के प्राप्तिगत हैं प्लान
का नाम सुरमत के स्थान पर रहमत ही
होने की अनुमति है।

आतः उप नक्कीलदार कटाहरपुर की
अभिधीया के आधार पर प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा
136 के तहत सीकर त्रिपा जता है। हाल
राजस्थान रिपोर्ट जमा सं. संख्या 2070-2073 जलम
मॉजरीका खता नं. 187 ख.नं. 54 संख्या 0.27 हेक्टर,
55 संख्या 0.14 हेक्टर, 56 संख्या 0.11 हेक्टर के
सुरमत कुच सुरजमत नाम के स्थान पर रहमत
कुच सुरजमत गुरु दिव जाते से बाह्ये विप्रेजते
है किन्तु भी प्रमाति उक्त नक्कीलदार कटाहरपुर
को तालनापी रिपोर्ट जाके प्रजापती प्रस्ताव
सुमार हाउस बाहर के कम ही सहकृति जमा
होए बाजार ही


दलेर सिंह
एडवोकेट
बैंच सदस्य
गजस्थ लोक अदालत


नीलाम सक्सेना
I.A.S.
उपखण्ड अधिकारी, अजमेर